

बिहार सरकार

विधि विभाग

फैक्स एवं
ई-मेल

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-29/2017.....⁴⁶/जे0, पटना, दिनांक 08.09-18
सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भागलपुर।

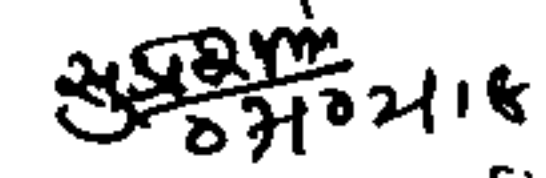
विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-117-परिवार न्यायालय, उपशीर्ष-0001-परिवार न्यायालय के अन्तर्गत-13.04-विद्युत प्रभार विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु मो0-45,000/- (पैंतालीस हजार) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

प्रसंग:- आपका पत्र संख्या-765/लेखा, दिनांक-25.01.2018

आदेश:- स्वीकृत।

2. व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-117-परिवार न्यायालय, उपशीर्ष-0001-परिवार न्यायालय के अन्तर्गत विद्युत प्रभार विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक 17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
4. वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि0, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
5. कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
6. इस शीर्ष की मांग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001170001 है

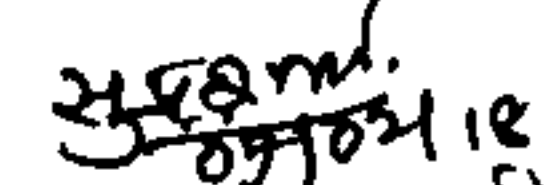
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-29/2017.....⁴⁶/जे0, पटना, दिनांक 08.09-18

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-29/2017.....⁴⁶/जे0, पटना, दिनांक 08.09-18

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-29/2017.....⁴⁶/जे0, पटना, दिनांक 08.09-18

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।
08/09/18